बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 26 सितम्बर, 2025

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के दृष्टिगत आज श्री प्रशांत कुमार सी०एच०, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, निर्वाचन विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिलों के स्वीप एवं मीडिया नोडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई तथा आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए।

बैठक में निम्नलिखित प्रमुख निर्देश दिए गए:

1. स्वयंसेवक उपलब्धता– मतदान दिवस हेतु वॉलंटियर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत स्काउट एवं गाइड एवं NCC से समन्वय स्थापित किया जाए। वॉलंटियर्स की टैगिंग एवं दायित्व निर्धारण समय से किया जाए।

2. सामुदायिक स्तर पर SVEEP गतिविधियाँ – चुनाव पाठशालाओं को सशक्त किया जाए तथा जीविका, ICDS, BLO एवं अन्य सरकारी कर्मियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। महिला मतदाता, वृद्ध मतदाता एवं दिव्यांग (PwD) मतदाताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए।

3. संस्थागत सहभागिता – चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यावसायिक संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर मतदान दिवस पर कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, सभी सरकारी विभागों में Voter Awareness Forum के माध्यम से सरकारी कर्मियों एवं उनके परिवारजनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

4. संगठन एवं प्रशिक्षण – जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर SVEEP कार्यों हेतु टीमें बनाई जाएं एवं उनका प्रशिक्षण कराया जाए। कैम्पस एम्बेसडर, SVEEP आइकॉन एवं PwD आइकॉन की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

5. सुगम इलेक्शन की रणनीति – जिला स्तरीय District Monitoring Committee On Accessible Election की बैठक आयोजित कर रणनीति तैयार की जाए एवं सभी दिशा निर्देशों को क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाए।

6. निर्वाचक नामावली प्रकाशन उपरांत कार्ययोजना– आगामी 30 सितम्बर 2025 को अंतिम निर्वाचक सूची प्रकाशन के बाद, जिला स्तरीय SVEEP प्लान को आंकड़ों के आधार पर अपडेट किया जाए एवं उसी के अनुरूप गतिविधियों का संचालन किया जाए।

7. डॉक्यूमेंटेशन एवं पारदर्शिता – प्रत्येक जिला में SVEEP गतिविधियों का समुचित दस्तावेजीकरण किया जाए, ताकि भारत निर्वाचन आयोग अथवा मुख्यालय द्वारा मांग किए जाने पर आसानी से उपलब्ध हो सके। निर्वाचन संबंधी प्रमुख गतिविधियों एवं सूचनाओं को दैनिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया तक पहुंचाया जाए, ताकि आम नागरिकों तक सही सूचना समय पर उपलब्ध हो एवं फेक न्यूज/मिस–इनफॉर्मेशन से बचाव संभव हो।

आदर्श आचार संहिता (**MCC**) कोषांग की समीक्षा

बैठक में जिला स्तरीय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) नोडल पदाधिकारियों की प्रगति एवं तैयारी की भी गहन समीक्षा की गई। श्री अमित कुमार पांडेय अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने MCC संबंधी तैयारियों का मूल्यांकन किया तथा यह निर्देश दिए कि MCC लागू होने के प्रारंभिक 72 घंटे प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इन शुरुआती घंटों में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर विशेष सतर्कता, त्वरित कार्रवाई एवं निगरानी तंत्र को सक्रिय करना अनिवार्य है। साथ ही, राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से संवाद बढ़ाकर MCC के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने पर बल दिया जाये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

इसके अलावा, निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय सहायक निर्वाची पदाधिकारियों (ARO) का राज्य रूतरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभागार में जारी है।

प्रशिक्षण के पहले दिन राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनरों (NLMTs) ने नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, पोस्टल बैलेट प्रक्रिया, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों से संबंधित प्रावधान, Know Your Candidate (KYC) ऐप तथा निर्वाचन व्यय निगरानी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण का उद्देश्य सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन की सभी प्रक्रियाओं एवं कानूनी प्रावधानों से अद्यतन कराना एवं उन्हें व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।

****